कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर 302015)...

क्रमांक	एफ–5( )कार्मिक/साप्र./ननिज/2021./ 883 दिनांक–17/06/2021

कार्यालय आदेश

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान सरकार राज० जयपुर के परिपत्र क्रमांक ब. 1(5)पुलिस/वित्त/बजट/2020/2853 दिनांक 04.09.2020 के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुसरण में नगर निगम जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज में सर्तकता शाखा में कार्यरत कानिस्टेबल से हेड कानिस्टेबल स्तर तक के कर्मचारी, जिनको नियमानुसार वर्दी देय है। उन्हें वर्ष 2021–2022 के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर 7000/–रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये मात्र) प्रति कार्मिक प्रतिवर्ष वर्दी एवं किट भत्ता का नकद भुगतान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

गृह विभाग का उक्त स्वीकृति आदेश कानिस्टेबल तथा हेड कानिस्टेबल हेतु वर्दी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 19.09.2016, कानि० से सहायक उपनिरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों हेतु वर्दी धुलाई भत्ते के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 02.04.2013 तथा कानि० से उपनिरीक्षक स्तर के कार्मिकों हेतु वर्दी सिलाई भत्ते के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 01.04.2013 तथा इस सम्बन्ध में जारी अन्य कोई आदेश का अधिक्रमण करते हुये जारी किया गया है। अतः उक्त वर्णित वर्दी भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता तथा वर्दी सिलाई भत्ता वित्तीय वर्ष 2020–21 से देय नहीं होगा यदि वित्तीय वर्ष 2020–21 में आज दिनांक तक उक्त श्रेणियों के पुलिसकर्मियों को वर्दी एवं तत्सम्बन्धी अन्य कोई भत्ता प्रदान कर दिया गया है तो इस वित्तीय वर्ष में एक मुश्त देय वर्दी एवं किट भत्ता राशि (7000/–वार्षिक) में से उक्त भत्तों की राशि का समायोजन कर शेष वर्दी एवं किट भत्ता राशि का भुगतान किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को उस वित्तीय वर्ष में सेवा अवधि के माह के अनुसार आनुपातिक रूप से वर्दी एवं किट भत्ता राशि का भुगतान किया जायेगा।

एक मुश्त वर्दी एवं किट भत्ता प्राप्त करने वाले समस्त पुलिस कर्मी स्वंय के स्तर पर क्रय कर निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही पहनना सुनिश्चित करेगें। सभी सुपरवाईजरी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा की उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों द्वारा विभागीय पैटर्न के अनुसार वर्दी धारण किया जा रहा है।

sd/-
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
आईएएस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. उपायुक्त कार्मिक, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. उपायुक्त सर्तकता, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. सहायक लेखाधिकारी भुगतान नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. संस्थापन लिपिक
10. प्रभारी ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
11. गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर